



KRISHI VIGYAN KENDRA, KUMHER-BHARATPUR

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION

(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)



Dr. Navab Singh
Senior Scientist & Head


Mob- 91-9414544054
E mail- pc.kvk.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Accts. /KVK/Kumher/2024/434-438

Dated:- 03.04.2024

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर, भरतपुर पर सरसों तूडी 6 हैक्टेयर क्षेत्रफल, चना खारी 1 हैक्टेयर क्षेत्रफल एवं मसूर भूसा 0.9 हैक्टेयर की नीलामी बोली दिनांक 09.04.2024 को प्रातः 11:00 बजे समिति द्वारा करायी जावेगी। इच्छुक खरीददार मौके पर पहुँचकर तूडी, खारी एवं मसूर भूसा का अवलोकन कर खुली बोली लगा सकते हैं। जिसकी बोली सर्वाधिक होगी तूडी, खारी एवं मसूर भूसा उसी ठेकेदार/पार्टी को दिया जावेगा। बोली लगाने का हकदार वही व्यक्ति होगा जो कि धरोहर राशि रुपये 5000 जमा करायेगा। सर्वाधिक बोली आने पर भी बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर।
4. श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रकाशित कराने का श्रम करें।
5. समस्त समिति सदस्य/कन्वीनर।
6. श्रीमान फार्म प्रभारी एवं खाद्य प्रबंधक नोटिस बोर्ड।
7. नोटिस बोर्ड पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, कुम्हेर, भरतपुर नोटिस बोर्ड/कृषि महाविद्यालय, भरतपुर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर, भरतपुर


No. F. /Accts. /KVK/Kumher/2024/434-438

Dated:- 03.04.2024

निलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक शर्तें

1. निलामी में भाग लेने से पूर्व रूपये 5000/- कार्यालय में जमा कराने होंगे।
2. तूड़ी, खारी एवं मसूर भूसा को उच्चतम बोलीदाता को ही दिया जावेगा।
3. उच्चतम दर प्राप्त होने के उपरांत ही कमेटी अपने स्वयं विवेक से तूड़ी, खारी व मसूर भूसा को बेचने की अभिशंषा करेगी।
4. उच्चतम राशि का 50 प्रतिशत भाग मौके पर ही ठेकेदार/फर्म को जमा कराना होगा। बकाया 50 प्रतिशत राशि आगामी दो दिवसों में जमा करानी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत ही माल को उठाने दिया जावेगा।
5. यथास्थिति में माल को उठाना होगा एवं निलामी छूटने के उपरांत माल की चौकीदारी आदि स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
6. उक्त तूड़ी, खारी एवं मसूर भूसा को कार्यालय समय में ही ले जाने की अनुमति होगी।
7. उक्त कार्य फार्म प्रभारी एवं फार्म प्रबंधक के दिशा निर्देशों में करना होगा।
8. उक्त निलामी में भाग लेने से पूर्व निम्न शर्तों पर अपने हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म को सहमती के रूप में करने होंगे।

हस्ताक्षर ठेकेदार


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष